



मध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-लम्भुआ
सुलतानपुर

Email ID: eddlambhua@gmail.com

CIN: U31200UP2003SGC027459

पत्रांक.....573...../वि०वि०ख०-ल०(सु०)/

/दिनांक 15/6/23


कार्यालय ज्ञापन

एतद द्वारा जमा योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता का भार उनके आनलाइन आवेदन प्रार्थना पत्र के अनुरोध पर लघु सिंचाई के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है

क्रम संख्या	इकाई/घाटी का नाम	आवेदन संख्या	मोबाइल नं०	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी	स्वीकृत भार	विद्या	प्रयोजन	विकास खण्ड
1.	RAM CHARAN PAL S/O RAMESHAR NARAYAN SINGH VILL&PO PAKRI	1008287892	9559479110	LAMBHUA	3HP	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	DUBEPUR
2	ARJUN PRASAD S/O SANTOKHI KORI VILL&PO BHADA	1008287928	9198736293	LAMBHUA	5HP	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	DUBEPUR
3	JAINUL HASAN S/O IBAD ULLA VILL&PO DILAWALPUR	1008288876	9005828911	LAMBHUA	3HP	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	BHADAIYA
4	KRIPA SHANKAR SRIVASTAVA S/O VIRENDRA DEV VILL&PO TIWARIPUR	1008288877	9648620599	LAMBHUA	3HP	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	DUBEPUR
5	DHARMENDRA KUMAR S/O MEWA LAL VILL&PO PAKARI	1008288878	9519346805	LAMBHUA	3HP	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	DUBEPUR
6	RAM KRIPAL S/O SHEETLA DEEN	1008288879	9119972878	LAMBHUA	3HP	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	DUBEPUR

नियम:-

- उपभोक्ता के नाम व इकाई में मध्य कोई भी न्यायिक विवाद है तो उक्त दशा में भार स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- उपभोक्ता का नाम से पहले से कोई कनेक्शन चल रहा है या उस पर बकाया है तो उक्त भार स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- अनुबन्ध के समय किसी भी प्रपत्र की आवश्यकता पड़ने पर इकाई व उपभोक्ता को प्रेषित करना होगा।
- इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उल्लिखित विद्युत भार उपभोगन करने की दशा में भी उक्त स्वीकृत भार स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
- कार्य करते समय किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धि आवेदन करने वाले की होगी। तथा विभाग में जमा धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।


(जगदीश पटेल)
अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक...../वि०वि०ख०-ल०(सु०)/

/दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड लम्भुआ/चाँदा को इस आशय से प्रेषित है कि उपभोक्ता का प्राक्कलन प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित करे।
- उपभोक्ता को उपरोक्त पत्र पर
- अनुबन्ध लिपिक।

(जगदीश पटेल)
अधिशाषी अभियन्ता

